(271) 7 (379)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर , सर्किट कोर्ट रीवा , जिला
रीवा म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक /2012

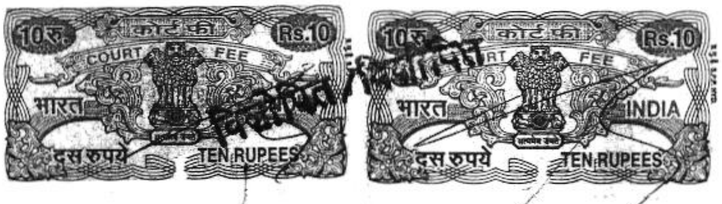

R-1350-III/12

रामसजीवन पटेल तनय स्व०श्रीराजाराम पटेल उम्र 45 वर्ष, पेशा खेती ,
निवासी ग्राम अगडाल तहसील मनगवां सर्किल गढ, जिला रीवा०म०प्र०

----- निगरानीकर्ता /आवेदक

वनाम

पारसनाथ पटेल तनयस्व० श्रीराजाराम पटेल उम्र वर्ष, पेशा खेती
निवासी ग्राम अगडाल, तहसील मनगवां सर्किल गढ, जिला रीवाम०प्र०

------- गैरनिगरानीकर्ता/ अनावेदक

अधिवक्ता श्री राजबहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दि० 4.06.2012
4.6.12

निगरानी विरुद्ध आदेश नायब त० तह०
मनगवा के प्रकरण क्र० 635/09-10 मेपारित
आदेश दिनांक 14-6-11

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भूराजस्व
संहिता सन 1959ईस्वी।

4/6/12

27.6.12

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यहकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक
14-6-11 विधि एवम प्रक्रिया के विपरीत होनेसे निरस्त किये जाने योग्य है।

2- आवेदक एवम अनावेदक दोनों सगे भाई है, निगरानीशुदा भूमि231

-2

— रामसजीवन

(271)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला–रीवा

प्रकरण क्रमांक निग0 1950– II / 2012

रामसजीवन **पटेल** / पारसनाथ पटेल

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी0पी0 चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, तहसील मनगवां के प्रकरण क्रमांक 06 / अ–5 / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	